न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024 / 169

तारीख रजू 02.09.2024

सिविल प्रकरण संख्याः– 82 / 2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
..........आवेदक

बनाम

1. विवेक जाट पुत्र श्री भरत लाल जाट (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स पवन मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार कुण्डेरा, सवाई माधोपुर
.....अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/ 51& 54 FSSAct 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः–

दिनांक 18.05.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दिनांक 21.03.2024 को दोपहर 01.30 पी.एम. पर उक्त फर्म पवन मिष्ठान भण्डार मैन मार्केट कुण्डेरा, सवाई माधोपुर पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम विवेक जाट पुत्र श्री भरतलाल जाट होना बताया एवं फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया। विवेक जाट ने मौके पर फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र एवं आधार कार्ड नहीं होना बताया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया। कि आम जनता को विक्रय हेतु Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar काउन्टर पर रखा था। Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar में गुणवत्ता / मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar खरीदकर उसकी कीमत 480 / – रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान विजय मीना के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar को हिलामिला कर एक सूखे व खाली बर्तन में तुलवाकर व एकरूप कर विक्रेता व गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं H-3186 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-3186 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विवेक जाट ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विवेक जाट को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर मे लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर मे लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/282 दिनांक 16.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1009/एक्ट/2024/1199 दिनांक 03.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा बाबत नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar, Substandard & Extraneous Matter (foreign fat) प्रकृति का होना पाया गया है।

आवेदक द्वारा अनुसंधान हेतु पवन मिष्ठान भण्डार कुण्डेरा सवाई माधोपुर को खाद्य अनुज्ञापत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं आधार कार्ड हेतु पत्र लिखा गया जिस पर उक्त फर्म द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ। ऐसा प्रतीत होता है बिना खाद्य अनुज्ञापत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन के व्यवसाय किया जा रहा है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/946 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा Sub-Standard & Extraneous Matter (foreign fat), Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अभियुक्त को प्रकरण में जबाव पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण मे बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-Standard, Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से खाद्य पदार्थ Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar का सेम्पल भरा गया था जिसको लेब द्वारा बी.आर. रीडिंग ज्यादा होने तथा Reichert Value कम होने के कारण सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अन्त मे अभियुक्त ने प्रकरण का निरस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या LS/1009/Act/2024/1199 दिनांक 03.04.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar, Sub Standard प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar में B.R.Reading of extracted fat at 40.0°C results 54.3 पाया गया है जोकि 40.0 to 44.0 होना चाहिए था। इसी प्रकार Reichert value of extracted Fat results 0.35 पाया गया है जोकि Min. 24 0 होना चाहिए था। अतः अभियुक्त द्वारा Sub-Standard & Extraneous Matter (foreign fat), Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar का विक्रय एवं निर्माण करके तथा बिना खाद्य अनुज्ञापत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन के व्यवसाय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध कारित किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ Milk Cake Sweets made from Milk and Sugar का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने **मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश** की एक प्रति आवेदक को तथा **एक प्रति अभियुक्त** को यदि उपस्थित हो तो **व्यक्तिशः या प्राधिकृत** व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **18.05.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर